सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

11 माघ, 1941 (श०)

संख्या- 60 राँची, शुक्रवार, 31 जनवरी, 2020 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

22 जनवरी, 2020

संख्या--5/आरोप-1-711/2014-426 (HRMS)-- श्री सत्य प्रकाश, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-852/03, गृह जिला-राँची), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मंझगांव, प0 सिंहभूम के विरूद्ध उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के पत्रांक-37/गो0, दिनांक 10.02.2004 द्वारा प्रपत्र-'क' में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया, जिसमें श्री प्रकाश के विरूद्ध चापाकल मरम्मति के कार्य में अनियमितता संबंधी शिकायत पर उपायुक्त द्वारा प्रतिवेदन मांगने पर नहीं देने तथा इसी संबंध में मा0 झारखण्ड उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका में प्रतिशपथ पत्र दायर करने हेतु अद्यतन प्रतिवेदन ससमय नहीं उपलब्ध कराने का आरोप प्रतिवेदित किया गया।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय संकल्प सं0-4748 दिनांक 31.08.2007 द्वारा श्री प्रकाश के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई, जिसमें आयुक्त, कोल्हान प्रमण्डल, चाईबासा को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री प्रकाश के विरूद्ध विधिवत् विभागीय कार्यवाही संचालित कर अपने पत्रांक-72 दिनांक 28.01.10 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त श्री प्रकाश के विरूद्ध निम्नांकित दण्ड अधिरोपित किया गया हैः-

(1) दो वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक;

(2) प्रोन्नति की देय तिथि से अगले दो वर्ष तक प्रोन्नति पर रोक;

उक्त दण्ड के विरूद्ध श्री प्रकाश द्वारा राज्यपाल, झारखण्ड के समक्ष अपील अभ्यावेदन समर्पित किया गया, जो राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड के पत्रांक-2025, दिनांक 20.07.2011 द्वारा विभाग को प्राप्त हुआ। श्री प्रकाश द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन की समीक्षा की गयी, जिसमें पाया गया कि इनके द्वारा ऐसा कोई तथ्य अंकित नहीं किया गया है, जो दण्ड अधिरोपण के समय संचिका में पूर्व में उपलब्ध नहीं हो, अतः विभागीय आदेश ज्ञापांक-3999, दिनांक 28.04.2012 द्वारा इनके अपील अभ्यावेदन को खारिज किया गया।

उक्त अधिरोपित दण्ड के विरूद्ध श्री प्रकाश द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड में याचिका (W.P.(S) No.-5608/2012) दायर की गयी, जिसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 10.07.2019 को न्यायादेश पारित किया गया, जिसका Operative part निम्नवत् है-

"Having heard learned counsel for the parties and on perusal of documents available on record, it appears that the enquiry report was not served upon the petitioner before imposing impugned punishment, which caused serious prejudice to the petitioner and for that he is not able to reply suitably. Furthermore, provisions of the Civil Services (C.C. & A) Rules has not been complied with. The appellate authority also did not take into consideration of these facts.

For the reasons aforesaid, the impugned order of punishment, the impugned order of punishment dated 05.07.2011 as also appellate order dated 28.04.2012 is hereby quashed and set aside.

However, it is open to the respondents to proceed for a de novo enquiry, if so legally advised, but after following the principles of natural justice and affording opportunity of hearing to the petitioner.

With the aforesaid observations and directions, the writ petition stands disposed of."

अतः माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड द्वारा w.p(s)No.5608/2012 में दिनांक 10.07.2019 को पारित न्यायादेश एवं विधि विभाग, झारखण्ड से प्राप्त मंतव्य के आलोक में निम्नांकित निर्णय लिया जाता है-

(क) श्री प्रकाश के विरूद्ध विभागीय संकल्प सं0-3660, दिनांक-05.07.2011 द्वारा पारित दण्डादेश एवं विभागीय आदेश ज्ञापांक-3999, दिनांक 28.04.2012 द्वारा अपील अभ्यावेदन अस्वीकृति संबंधी निर्गत आदेश रद्द किया जाता है।

(ख) श्री प्रकाश के विरूद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के अन्तर्गत नये सिरे से विभागीय कार्यवाही संचालित किया जाता है। विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री गौरी शंकर मिंज, सेवानिवृत्त भा0प्र0से0, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को संचालन पदाधिकारी एवं निदेशक, लेखा, प्रशासन एवं स्वनियोजन, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया जाता है।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	SATYA PRAKASH JHK/JAS/89	(क) श्री सत्य प्रकाश के विरूद्ध विभागीय संकल्प सं0-3660, दिनांक-05.07.2011 द्वारा पारित दण्डादेश एवं विभागीय आदेश ज्ञापांक-3999, दिनांक 28.04.2012 द्वारा अपील अभ्यावेदन अस्वीकृति संबंधी निर्गत आदेश रद्द किया जाता है। (ख) इनके क विरूद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के अन्तर्गत नये सिरे से विभागीय कार्यवाही संचालित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,
सरकार के संयुक्त सचिव।
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/2972

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 60 -- 50